



# शहीद नंदकुमार पटेल विश्वविद्यालय, रायगढ़ (छ.ग.)

(छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 द्वारास्थापितराजकीय विश्वविद्यालय)  
गढ़उमरिया, ओड़िशारोड, रायगढ़ (छत्तीसगढ़) 496001

ई-मेल-registrarsnpv@gmail.com, वेबसाईट- https://snpv.ac.in

क्रमांक 84 /बै.प्रको./2024

रायगढ़, दिनांक 05/03/2024

## // आदेश //

कार्य-परिषद् की तृतीय स्थगित (नियमित) बैठक दिनांक 02.03.2024 के प्रस्ताव क्रमांक 04 के निर्णयानुसार डॉ. बी.एन. तिवारी, सेवा निवृत्त-आचार्य एवं अधिष्ठाता गुरु घासीदास विश्वविद्यालय (केन्द्रीय विश्वविद्यालय), बिलासपुर (छ.ग.) को इस विश्वविद्यालय के लिए लोकपाल नियुक्त किये जाने की अनुशंसा की गई है। तदनुसार डॉ. बी.एन. तिवारी को तीन वर्ष की अवधि के लिए लोकपाल नियुक्त किया जाता है।

सुनवाई का संचालन करने के लिए लोकपाल को विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार प्रति दिन प्रति बैठक के आधार पर शुल्क का भुगतान किया जाएगा और इसके अतिरिक्त, वे यात्रा पर किये गये व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए पात्र होंगे।

आदेशानुसार

कुलसचिव

रायगढ़, दिनांक 05/03/2024

पृ.क्रमांक 85 /बै.प्रको./2024

प्रतिलिपि:-

01. माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय के सचिव को माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय के सादर सूचनार्थ।
02. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, इन्द्रावती भवन नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर को सादर सूचनार्थ।
03. कुलपति के निज सचिव को माननीय कुलपति महोदय के सादर सूचनार्थ।
04. सम्माननीय सदस्यगण कार्य-परिषद् शहीद नंदकुमार पटेल विश्वविद्यालय, रायगढ़ (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
05. डॉ. बी.एन. तिवारी, सेवा निवृत्त-आचार्य एवं अधिष्ठाता, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय (केन्द्रीय विश्वविद्यालय), बिलासपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ।
06. समस्त, विभागाध्यक्ष, शहीद नंदकुमार पटेल विश्वविद्यालय, रायगढ़(छ.ग.) को सूचनार्थ।
07. विश्वविद्यालय के वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
08. कार्यालय प्रति।

प्रभारी अधिकारी (बै.प्रको.)